आज़ादी का अमृत महोत्सव

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

परिपत्र

विषयः– निजी निक्षेप खातों/बैंक खातों में बंद पड़ी योजनाओं की राशि में से अवशेष राशि अविलम्ब राजकोष में जमा करवाने के संबंध में।

वित्त विभाग के यह ध्यान में आया है कि कतिपय विभागों के निजी निक्षेप खातों/बैंक खातों में राशि अवशेष होते हुए भी निजी निक्षेप खातों में राशि हस्तान्तरण के प्रस्ताव वित्त विभाग को प्राप्त हो रहे हैं।

इस संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2023–24 में निजी निक्षेप खातों में अत्यधिक अवशेष राशि रहने को आक्षेपित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के संचालन हेतु विभिन्न विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं को उनके निजी निक्षेप खातों में सहायतार्थ अनुदान/निर्माण कार्यों इत्यादि की राशि जारी की जाती है। विभागों/संस्थाओं की बंद पड़ी योजनाओं की राशि अनावश्यक रूप से उनके निजी निक्षेप खातों/बैंक खातों में पड़ी रहती है। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार उक्त अवशेष राशि को राजकोष में जमा कराया जाना आवश्यक होता है। उक्त अवशेष राशि निजी निक्षेप खातों में अवशेष रहने से जहाँ एक ओर आहरित राशि राज्य की समेकित निधि से बाहर लोक लेखों में रहती है वहीं दूसरी ओर इस राशि से राज्य की उधार सीमा (Borrowing Limit) विपरीत रूप से प्रभावित होती है।

उल्लेखनीय है कि बजट प्रकिया, प्रबन्धन एवं उपयोग संबंधी परिपत्र दिनांक 29.08.2025 के अन्तर्गत ऐसी योजनाएँ जो वर्तमान में बन्द हो चुकी हैं उनके निजी निक्षेप खाते/बैंक खाते में अवशेष राशि को संबंधित बजट शीर्ष में आगामी एक माह में आवश्यक रूप से जमा कराये जाने के निर्देश हैं।

अतः सभी प्रशासनिक विभागों के नियंत्रणाधीन विभाग एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के निजी निक्षेप खातों/बैंक खातों में बंद पड़ी योजनाओं की अवशेष राशि की समीक्षा कर अनुपयोगी राशि / बंद योजनाओं से संबंधित राशि को वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 02.07.2018 एवं 03.07.2018 (प्रति संलग्न) के अनुसार तत्काल संबंधित बजट शीर्ष में जमा करवाने हेतु निर्देशित कराने का श्रम करावें।

संलग्नः उपर्युक्तानुसार

(वैभव गालरिया)
प्रमुख शासन सचिव, वित्त

Room No. 5130, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.)- 302005
Phone No. 0141-2227799 www. finance.rajasthan.gov.in E-mail - dirbudget@rajasthan.gov.in

आज़ादी का अमृत महोत्सव

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

प 8(22)वित्त–1(1)आय.व्य./2000/पार्ट–V जयपुर, दिनांक 22 जून, 2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीया उप मुख्यमंत्री महोदया (वित्त)।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री/मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
7. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, वित्त विभाग।
8. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर सहित)
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त राजकीय उपक्रम।
10. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
11. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक, वित्त (बजट)

[06 /2026]

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय व्ययक अनुभाग)

क्रमांक प.8(22)वित्त–1(1)आ.व्यय/2000/पार्ट III जयपुर, दिनांक : 03.07.2018

परिपत्र

अवशेष राशि एवं अधिक अदायगियों की वसूली राशि को वापस राजकोष में जमा कराने की प्रक्रिया इस विभाग के पूर्व परिपत्र दिनांक 26.04.2005 एवं 22.11.2012 द्वारा निर्धारित की गई है।

महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर द्वारा संघ तथा राज्यों के मुख्य एवं लघु शीर्षों की लेखा सूची के सामान्य निर्देशों के अनुच्छेद 3.10 में दी गई प्रक्रिया के दृष्टिगत वर्तमान प्रक्रिया में कतिपय संशोधन सुझाए गए हैं।

महालेखाकार राजस्थान, जयपुर के सुझावों पर विचार कर उपयोग में न ली गई अवशेष राशि एवं अधिक अदायगियों की वसूली को जमा कराने हेतु इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र दिनांक 26.04.2005 एवं 22.11.2012 के अतिक्रमण में वित्तीय वर्ष 2018–19 से निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:–

राजस्व व्यय के बाबत :–

(क) अवशेष राशि के संबंध में

1. वित्तीय वर्ष के दौरान आहरित राशि में से अवशेष राशि (Unspent Balances) को यदि उसी वर्ष में वापस जमा कराया जाता है तो उसी विस्तृत शीर्ष में माइनस जमा करवाया जावे जिस शीर्ष से राशि आहरित की गई थी।

2. मुख्य शीर्ष 2245 के अन्तर्गत चालू वर्ष एवं गत वर्षो में आहरित अवशेष राशि, जो कि राज्य आपदा मोचन निधि से पूरित होती है, को मद 2245 के अन्तर्गत उसी विस्तृत शीर्ष में माइनस जमा करवाया जावे जिससे वह आहरित की गई थी।

3. लेखामद 2245 को छोड़कर वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् गत वर्षों की अवशेष राशि को जिस व्यय शीर्ष से आहरित की गई थी उसके तत्संबंधी राजस्व प्राप्ति शीर्ष में जमा कराया जावे। ऐसे व्यय शीर्ष जिनके तत्संबंधी राजस्व प्राप्ति शीर्ष नहीं है उस स्थिति में राशि शीर्ष 0075–800–(01) अन्य विविध प्राप्तियां में जमा कराई जावे।

(ख) अधिक अदायगियों की वसूलियॉ

1. वेतन, भत्ते एवं अन्य मदों में हुए अधिक अदायगियों की वसूलियों को यदि उसी वर्ष में वांपस जमा कराया जाता है तो उसी विस्तृत शीर्ष में माइनस जमा करवाया जावे जिस शीर्ष से राशि आहरित की गई थी।

2. वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात् पिछले वर्षों से संबंधित अधिक अदायगियों की वसूलियों को जमा कराने के लिए संबंधित मुख्य/उप मुख्य शीर्ष के नीचे पृथक लघु शीर्ष 911–"घटाइये अधिक

अदायगियों की वसूलियां" खुलवाकर उसमें जमा करवाई जावे। वित्तीय वर्ष 2018–19 में यदि पिछले वर्षों की कोई राशि पूर्व में जिस मद से आहरित की गई थी उसी मद में माइनस जमा करा दी गई हो तो उसका स्थानान्तरण प्रविष्टि के माध्यम से 911–"घटाइये अधिक अदायगियों की वसूलियां"शीर्ष में समायोजन करवाया जावे।

पूंजीगत व्यय के बाबतः–

पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत अवशेष राशि, विनिवेश (Disinvestment) की राशि, हिस्सा पूंजी की वापसी, कार्य के विरूद्ध अधिक भुगतान की राशि आदि का लेखांकन सम्बन्धित पूंजीगत व्यय शीर्ष के व्यय को कम करके किया जाना हैं, जिससे पूंजीगत व्यय की वास्तविक व सही गणना हो सके। अतः इस राशि का निम्न प्रकार से लेखांकन किया जावे :–

1. गत वर्षों की अवशेष राशि व निर्माण कार्य के विरूद्ध अधिक भुगतान को सम्बन्धित विस्तृत शीर्ष के अर्न्तगत (Minus Expenditure) जमा कराया जावे परन्तु ऐसे चालानों पर विस्तृत कारण, राशि आहरण की तिथि, उद्देश्य, लेखा शीर्ष आदि का उल्लेख किया जावे जिससे लेखांकन में परेशानी न हो।
2. विनिवेश (Disinvestment) की राशि व हिस्सा पूंजी की वापसी की राशि को सम्बन्धित शीर्ष के नीचे 'घटाइये–वापसी' के विरूद्ध जमा करवाया जाये, जिससे उस शीर्ष के अर्न्तगत वापसी की गणना भी हो सके।

समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

(संजू राजपाल)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थन, जयपुर को उनके कार्यालय पत्र क्रमांक रिपोर्ट(एएडी)/2 (1178)/2018–19/556 दिनांक 03.05.2018 के क्रम में ।
2. समस्त प्रशासनिक विभाग।
3. समस्त विभागाध्यक्ष / समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी।
4. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
5. समस्त संयुक्त/उप शासन सचिव, वित्त विभाग।
6. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. तकनीकी निदेशक, NIC, जयपुर।
8. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।
9. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, वित्त (बजट)

[7 / 2018]

राजस्थान सरकार
वित्त (मार्गोपाय) विभाग

क्रमांक प. 15(5) विमा/2012 जयपुर, दिनांक 02 जुलाई 2018

आदेश

विषयः— राजकीय विभागों, स्थानीय निकायों, स्वायतशासी संस्थाओं और राजकीय कम्पनियों के पी.डी. खाते व बैंकों में निधियों की जमा एवं निवेश (**Deposits and Investments**) से संबंधित निर्देश।

राजकीय विभागों द्वारा योजना क्रियान्वयन और राजकीय उपक्रमों, कम्पनियों, बोर्ड, विश्वविद्यालयों, अनुदानित संस्थाओं, निकायो, राज्य सरकार पर वित्तीय दृष्टि से पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निर्भर संस्थाओं आदि की निधियों के जमा एवं निवेश (Deposits and Investments) के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.02.1995 एवं समय–समय पर अनुदेश जारी किये गये हैं। ऐसे समस्त आदेशों और संशोधनों के अतिक्रमण में विभिन्न विभागो, संस्थाओं, निकायों एवं राजकीय उपक्रमों की निधियों के जमा/विनियोजन के लिए निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है–

(1) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान, ऋण, राजकीय राशि अथवा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत राज्य/भारत सरकार से प्राप्त राशि को ब्याज रहित पी.डी खाते में ही जमा रखी जावें एवं इसका अन्यत्र विनियोजन अनुमत नहीं है।

(2) नित्यप्रति के उपयोग के लिए अपेक्षित निधियां कोष/उप कोष में पी.डी. खाते (बिना ब्याज) में रखी जावेगी।

(3) स्थानीय निकाय, स्वायतशाषी संस्थाऐं और राजकीय कम्पनियों द्वारा स्वयं की अर्जित आय में से अधिशेष निधियां राज्य सरकार के पास कोष/उप कोष में ब्याज अर्जित करने वाले निक्षेप के रूप में रखी जावेगी।

(4) भारत सरकार की योजनाओं के दिशा निर्देशों में अनिवार्यता/वैधानिक आवश्यकता होने पर राशि का विनियोजन/जमा, वित्त विभाग द्वारा अनुमत बैंक खाते (Account) में किया जा सकेगा। यह खाता वाणिज्यिक/ग्रामीण/सहकारी बैंकों में खोला जा सकेगा।

उक्त प्रक्रिया के सुचारू संचालन हेतु पीडी खातों/बैंक खातों के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश निम्नानुसार हैं:–

1. ऑनलाईन नवीन पी.डी. खाता खोलने की प्रक्रिया

वित्त (मार्गोपाय) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.15(15)वि.मा./2011–पार्ट–II दिनांक 05.09.2017 के अनुसार नवीन पी.डी. खाता खोलने हेतु संबंधित विभाग/संस्था/निगम द्वारा अपने प्रशासनिक विभाग की अनुशंषा के साथ पत्रावली पर निम्नाकिंत सूचनाओं सहित प्रस्ताव वित्त (मार्गोपाय) विभाग को प्रेषित किए जावेगें:–

(i) नवीन पी.डी. खाते का नाम
(ii) विभाग/संस्था/निगम का नाम एवं पूर्ण पता
(iii) पी.डी. खाते का प्रकार–ब्याज रहित/ब्याज सहित
(iv) पी.डी. खाता खोलने का उद्देश्य
(v) कोषालय/उप कोषालय का नाम जहां पी.डी. खाता खुलवाया जाना है
(vi) पी.डी. खाते को संचालित करने वाले अधिकारी का पदनाम
(vii) पी.डी. खाते संचालन की प्रकृति (एकल/संयुक्त) एवं यदि आहरण की कोई सीमा रखी जानी है तो उसका विवरण
(viii) पी.डी. खाता खुलवाने वाले संस्था/निगम का विधिक Status - किस अधिनियम/नियम/निर्देश के अन्तर्गत गठित/पंजीकृत किया गया है। गठन/पंजीकरण की प्रति संलग्न करें।
(ix) पी.डी. खाता धारक के आय के स्त्रोत एवं Fund Flow Mechanism

विभागीय प्रस्ताव का परीक्षण उपरांत वित्त (मार्गोपाय) विभाग द्वारा ऑनलाईन पी.डी. खाता खोला जावेगा। विभाग/संस्था/स्वायतशाषी संस्था का ऑनलाईन पी.डी. खाता खोले जाने पर संबंधित द्वारा कोषालय/उपकोषालय से सम्पर्क कर आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण की जावेगी। संबंधित कोषालय द्वारा वित्त (मार्गोपाय) विभाग की ऑनलाईन स्वीकृति के अनुसार ही पी.डी. मॉड्यूल पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

गैर अनुदानित निजी शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अंशदायी प्रावधायी निधि की राशि हेतु संबंधित कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी द्वारा अपने स्तर पर पी.डी. खाता खोला जावेगा।

2. पी.डी. खाते में संशोधन

विद्यमान पी.डी. खातों में किसी प्रकार के संशोधन किए जाने के संबंध में विभाग/संस्था/निगम द्वारा अपने प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग के माध्यम से पत्रावली पर

पूर्ण औचित्य सहित ही भिजवाए जावेंगे तथा वित्त (मार्गोपाय) विभाग द्वारा प्रस्तावानुसार परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही कर ऑनलाईन संशोधन की स्वीकृति जारी की जावेगी।

3. पी.डी. खाता बन्द करना

(i) राजस्थान कोषागर नियम 2012 के नियम 98 के अनुसार गत 5 वित्तीय वर्ष में किसी पी.डी. खाते (ब्याज रहित) में कोई लेन देन नहीं होने पर खाता निष्क्रिय हो जावेगा तथा संबंधित कोषाधिकारी द्वारा **कोषागार नियम 98** की पालना करते हुए ऐसे खाते की अवशेष राशि बजट मद 0075 विविध सामान्य सेवाएं 101–(अदावाकृत) में जमा की जाकर खाते क़ो बन्द किया जावेंगा तथा वित्त (मार्गोपाय) विभाग, निदेशक, कोष व लेखा एवं खाता धारक को सूचना दी जावेगी।

(ii) पी.डी. खाता धारक (ब्याज रहित) द्वारा पी.डी. खाता बन्द करने के लिए मना करने पर संबंधित कोषालय द्वारा निदेशक, कोष व लेखा के माध्यम से वित्त (मार्गोपाय) विभाग को प्रकरण निर्णय हेतु प्रेषित किया जावेगा।

(iii) पी.डी. खातें (ब्याज सहित) में 5 वर्ष तक कोई लेनदेन नहीं होने पर भी वह निष्क्रिय नहीं होगा। केवल विशेष परिस्थितियों में ही वित्त (मार्गोपाय) विभाग के निर्देश पर इसे बन्द किया जा सकेगा।

4. पी.डी. खाता (ब्याज सहित) की जमाओं पर ब्याज भुगतान

(i) विभागो, संस्थाओं, निकायों एवं राजकीय उपक्रमों द्वारा अपने पी.डी. खाते (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित) के प्रतिवर्ष दिनांक 31 मार्च को रहे शेष का सत्यापन संबंधित कोषालय से करवाया जावेगा।

(ii) पी.डी. खाता (ब्याज सहित) की जमाओं पर राज्य सरकार द्वारा ब्याज का भुगतान किया जावेगा जिसका आकलन संबंधित कोषालय द्वारा किया जाकर खाता धारक संस्था/विभाग के पी.डी. खाता (ब्याज रहित) में जमा किया जावेगा।

(iii) पी.डी.खाता (ब्याज सहित) में प्रत्येक जमा के पृथक जमा मानकर उस पर पृथक से ब्याज आकलन किया जावेगा।

(iv) पी.डी. खाते (ब्याज सहित) में राशि आहरण प्रथम जमा प्रथम आहरण (First in first out) के आधार पर किया जावेगा।

(v) स्थानीय निकायों, स्वशासी संस्थाओं और राजकीय कम्पनियों इत्यादि की निजी निक्षेप (पी.डी) खातों में जमा राशि पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी

ब्याज दर से भुगतान किया जावेंगा। तीन माह एवं उससे कम अवधि की जमाओं पर कोई ब्याज देय नहीं है।

(vi) ब्याज सहित निजी निक्षेप खाते से ब्याज का भुगतान न किया जाकर उसे ब्याज रहित निजी निक्षेप खाते मे वार्षिक रूप से हस्तान्तरित किया जावेगा। देय ब्याज की राशि स्थानान्तरित प्रविष्टि द्वारा बजट मद 2049 ब्याज अदायगी 60– अन्य दायित्वों पर ब्याज 101– जमा राशि पर ब्याज के अन्तर्गत विस्तृत संबंधित मदों में नामे (डेबिट) लिखकर संस्था के ब्याज रहित पी.डी. खाते में जमा की जावें।

(vii) गैर अनुदानित निजी शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अंशदायी प्रावधायी निधि की राशि हेतु संबंधित कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी द्वारा अपने स्तर पर पी.डी. खाता खोला जावेगा।

(viii) वित्त (मार्गोपाय) विभाग द्वारा जी.पी.एफ. एवं अन्य समान फण्ड्स–सी.पी.एफ. पर ब्याज दर जो समय–समय पर निर्धारित की जाती है, के अनुसार जमाओं पर ब्याज भुगतान कोषालयों द्वारा किया जावेगा।

बैंक खाता खोलने के दिशा–निर्देश

इस विभाग के पत्रांक पं. 21(2) वित्त/2010 दिनांक 07.01.2016 द्वारा बैंक खाता खोलने के दिशा–निर्देश प्रदान किये गये थे। इस संबंध में पुनः निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं:–

(i) वित्त विभाग की पूर्वानुमति से ही बैंक खाते खोले जावें।

(ii) यदि विभाग द्वारा वित्त विभाग की पूर्वानुमति के बिना बैंक खाता खोला गया है तथा उसका संचालन किया जाना अत्यावशक हो तो उसकी वैधानिक आवश्यकता/अनिवार्यता के संबंध में औचित्यपूर्ण प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किए जाकर कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जावें, अन्यथा उन खातों को तत्काल बन्द किया जावे।

(iii) बैंक खातों का संचालन संयुक्त हस्ताक्षरों से ही किया जावें एवं विभागीय अधिकारियों के नाम के स्थान पर संस्था/परियोजना के नाम से बैंक खाते खुलवाए जावें ।

1. **बैंक खाता खोले जाने की अनुमति हेतु वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रेषित करने की प्रक्रिया**

विभाग में किसी योजना का क्रियान्वयन बैंक खाते के द्वारा किया जाना अनिवार्य हो तो उस योजना हेतु खोले जाने वाले बैंक खाते की अनुमति हेतु प्रस्ताव वैधानिक आवश्यकता/अनिवार्यता के साथ निम्न सूचनाओं सहित वित्त विभाग को स्वीकृति हेतु भिजवाया जावे–

(i) योजना का क्रियान्वयन यदि किसी संस्था द्वारा किया जाना है तो, उस संस्था की विधिक स्थिति (Legal Status) का पूर्ण विवरण (प्रमाणक की प्रति सहित)।

(ii) उस संस्था के आय के स्त्रोत यथा भारत सरकार/राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान/अन्य स्त्रोत का पूर्ण विवरण।

(iii) योजना के क्रियान्वयन हेतु बैंक खाते की अनिवार्यता हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार की गाईड लाईन/दिशा निर्देशों की प्रति।

(iv) योजना के क्रियान्वयन हेतु प्राप्त राशि को संबंधित राजस्व मद अथवा विभाग/संस्था के पी. डी. खाते के माध्यम से अथवा अन्य बैंक खाते में जमा करवा कर उस योजना का क्रियान्वयन किया जा सकता हो तो उसका परीक्षण विभाग/संस्था/कम्पनी में कार्यरत वित्तीय सलाहकार/वरिष्ठतम लेखाधिकारी से करवाकर उसकी टिप्पणी सहित भिजवाया जावेगा।

(v) किसी योजना के क्रियान्वयन हेतु जिलेवार/ब्लॉकवार बैंक खाता खोला जाना आवश्यक हो तो वित्त विभाग की पूर्वानुमति से एक केन्द्रीयकृत बैंक खाता ही खोला जावें, जिसमे जिलेवार/ब्लॉकवार लिंक खातो के रूप में ही खोले जावे। इस संबंध में बैंको द्वारा आवश्यक सॉफ्टवेयर/मॉडयूल/सिस्टम विकसित कराने की कार्यवाही करावे, ताकि विभाग/संस्था को वांछित आय–व्यय डाटा/लेजर आदि का विवरण बैंक से ही प्राप्त हो सके।

2. **बैंक खातों में बन्द पड़ी योजनाओं के अवशेष राशि के संबंध में निर्देश**

विभागों के पूर्व में खुले हुए बैंक खाते, जिनकी योजना का संचालन बन्द हो चुका हो, एवं उन योजनाओं की अवशेष राशि बैंक खातो में जमा हो तो, उन्हे तत्काल राजकोष में जमा कराया जावे तथा उसका पूर्व विवरण वित्त विभाग को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

स. अन्य निर्देश

निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण (विभाग) यह सुनिश्चित करेगा कि इस आदेश में अंतर्विष्ट इन अनुदेशों का संबंधित स्थानीय निकाय, स्वशासी संस्थाएं इत्यादि जिनके लेखों की विभाग द्वारा संपरीक्षा की जाती है, अनुसरण करें।

विभिन्न राजकीय विभागों, स्थानीयों निकायों, स्वायतशासी संस्थाओं और राजकीय कम्पनियों में कार्यरत वरिष्ठतम राज. लेखा के अधिकारियों द्वारा उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावें।

(मुकेश शर्मा)
अति. मुख्य सचिव (वित्त)

प्रतिलिपि निम्नांकित से सूचनार्थ एवं आवश्यकर्ता कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. सचिव राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रधानमहालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त निजी सचिव मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/अन्यमंत्रीगण
6. शासन सचिवालय के समस्त नियम अनुभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. समस्त संबंधित संस्थायें, राजस्थान।
9. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, राजस्थान।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित है :–

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोकसेवा आयोग, अजमेर।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।

(शरद मेहरा)
निदेशक, वित्त (बजट)